



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082024-256150
CG-DL-E-07082024-256150

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2024/ श्रावण 14, 1946

No. 439]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2024/ SHRAVANA 14, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 478(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 05 सितंबर, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 654 (ई) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा, श्री एस. सुरेश कुमार, भा.प्र.से. सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार अवसंरचना एवं निवेश विभाग, को श्री एन. युवराज, भा.प्र.से., सरकार के विशेष मुख्य सचिव (एफएसी), अवसंरचना एवं निवेश विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के स्थान पर तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3(1)(ग)(i) के तहत विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण बोर्ड में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-भाग(1)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th August, 2024

G.S.R. 478(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) No. G.S.R. 654(E) dated 05th September, 2023, the Central Government hereby appoints Shri S. Suresh Kumar, IAS, Secretary to Govt. of Andhra Pradesh, Infrastructure & Investment Department, in place of Shri N. Yuvaraj, IAS, Special Chief Secretary to Government (FAC), Infrastructure & Investment Department, Govt. of Andhra Pradesh, as a representative of State Government on the Board of Visakhapatnam Port Authority under Section 3(1)(c)(i) of Major Port Authorities Act, 2021 with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part (1)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.